न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सविता शर्मा, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :— **126 / 2022**
GCMS NO. 2022/148

लीलाराम पुत्र श्योसहाय उम्र 55 वर्ष जाति गूर्जर निवासी नागंलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज0) व अन्य

.... प्रार्थीगण

ब—ना—म

शीशराम पुत्र स्व. प्रहलाद जाति गूर्जर निवासी नांगलिया गूर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज0) व अन्य

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

प्रस्तुतकर्ता :—

शीशराम पुत्र स्व. प्रहलाद जाति गूर्जर निवासी नांगलिया गूर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज0) **(प्रकरण का अप्रार्थी)**

मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 / 128
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित अधिवक्ता :—

1. श्री रोहित कुमार पोषवाल एवं श्री शीशराम गूर्जर — प्रार्थीगण
2. श्री हेमराज सिंह — अप्रार्थीगण

—: <u>निर्णय</u> :— **दिनांक :— 09.05.2024**

उपर्युक्त उनवानी मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 / 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 के विरुद्ध अप्रार्थी शीशराम पुत्र स्व. प्रहलाद जाति गूर्जर निवासी नांगलिया गूर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज0) की ओर से जरिये अधिवक्ता दिनांक 05.09.2023 को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का इस आशय प्रार्थना पत्र पेश हुआ [illegible] नम्बर 1291 रकबा 0.15 हेक्टेयर का विधिवत सीमाज्ञान नहीं करवाया [illegible] 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का [illegible] प्रार्थना पत्र बाद करवाया जाकर ही पेश किया जा सकता है। इसलिए [illegible] प्रार्थना पत्र बाढ़ बाई लॉ होने के कारण खारिजे काबिल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.22 14:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बाढ बाई लॉ होने कारण खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में फरमावें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र का लीलाराम पुत्र श्योसहाय जाति गुर्जर निवासी नागंलिया गूर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) की ओर से इस आशय का जवाब पेश हुआ कि उपरोक्त आवेदक पत्र अस्वीकार है। अप्रार्थी श्रीमान् जी तहसीलदार खेतड़ी महोदय के द्वारा दिनांक 18.04.2022 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान करवाया था। इसी प्रश्नगत भूमि का न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा बउनवानी लीलाराम आदि बनाम शीशराम आदि प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 07.07.2004 को श्रीमान् तहसीलदार खेतड़ी से सीमाज्ञान करवाया था। जिसमें सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी की भूमि विधिवत रूप से सीमाज्ञान किया गया था जिसके आधार पर अप्रार्थी का दावा डिक्री किया गया था। इस प्रकार अप्रार्थी की भूमि का दो बार विधिवत प्रकार से सीमाज्ञान करवाया जा चुका है।

अतः जवाब आवेदक पत्र पेश कर निवेदन किया प्रार्थना पत्र प्रार्थी खर्चा सहित खारिज फरमाया जाने की कृपा करें।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थीगण ने पत्रावली पर दिनांक 18.04.2022 को विधिवत सीमाज्ञान होने की बाबत जो रिपोर्ट पेश की है, वह कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के यहां परिवादी लीलाराम पुत्र श्योसहाय उम्र 55 वर्ष जाति गूर्जर निवासी नागंलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी के द्वारा प्रस्तुत शिकायती परिवाद के परिप्रेक्ष्य में पटवारी हल्का नागंलिया गूर्जरवास द्वारा दिनांक 18.04.2022 को किये गये मौका निरीक्षण की रिपोर्ट है, जिसमें पटवारी हल्का के द्वारा लिखा गया है कि शिकायतकर्ता अपने खेत खसरा नम्बर 1291 का सीमाज्ञान करवाकर अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही करावे। जब तक शिकायतकर्ता अपने खेत का सीमाज्ञान नहीं करवाता है तब तक किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। जहां तक प्रश्न है सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 07.07.2004 की, उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट न्यायालय के द्वारा एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण में ली गई जिसे काफी समय व्यतीत हो चुका है। उसके बाद मौका स्थिति में परिवर्तन होना संभावित है। उक्त रिपोर्ट केवल एक विशेष प्रकरण से संबंध रखती है। जिसका हस्तगत प्रकरण से कोई संबंध सरोकार नहीं है। चूंकि हस्तगत प्रकरण एक पत्थरगढी का प्रकरण है जिस पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के प्रावधान लागू होते है। धारा 128 में प्रावधान है कि सीमाओं से संबंधित सभी विवाद भू-अभिलेख अधिकारी अर्थात उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 111 से अधिकथित रीति से विनिश्चित किये जायेंगे परन्तु [illegible] सीमाओं संबंधी आवेदन उन मामलों में तहसीलदार को दिये जायेंगे [illegible] जायेंगे। यहां पर प्रार्थीगण के द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 1291 का तहसीलदार खेतडी के यहां से राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवार विधिवत सीमाज्ञान नहीं करवाया है, जो आवश्यक है। बिना विधिवत सीमाज्ञान के प्रार्थीगण के पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.22 14:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

—: **आदेश** :—

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रस्तुतकर्ता (प्रकरण का अप्रार्थी) का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09.2023 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संख्या 126/2022 **GCMS NO.2022/148** उनवानी लीलाराम आदि बनाम शीशराम आदि अन्तर्गत धारा 111/128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **09.05.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/5/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.22 14:17:28 IST
Reason: SelfAttested